न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
99/2020	दावा 53 आर.टी.ए.	15.09.2020	28.09.2022

1. सांवरमल पुत्र श्री सीताराम जाति मालि निवासी वार्ड नं. 3 रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज)

—वादी—

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र श्री सीताराम जाति माली निवासी गणगौरी गेट, आथूणा मोहल्ला, वार्ड नं. 3 रतननगर तहसील व जिला चूरू
2. राम निवास पुत्र श्री सीता राम जामि माली निवासी वार्ड नं. 4 कटारियों का मोहल्ला, रतननगर तहसील व जिला चूरू(राज)
3. गणेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामश्वर लाल जाति माली निवासी दादावाड़ी के सामने निवासी लोहिया के कुए के सामने चूरू
4. शंकर लाल पुत्र स्वर्गीय रामश्वरलाल जाति माली निवासी दादावाड़ी के सामने निवासी लोहिया के कुए के सामने चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रतिवादीगण

—

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता वादी श्री धन्नाराम सैनी

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 03 व प्रतिवादी सं. 4 से 10 के पिता रामेश्वर के संयुक्त खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1034/665 तादादी 1.1761 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 563 तादादी 0.4805 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 तादादी 3.3134 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 4.9700 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज) में स्थित चली आ रही है, जिसके [illegible] संख्या 241 है

मुताबिक जमाबंदी संवत 2071 से 2074 उक्त कृषि भूमि के कुल हिस्से 4.9700 हैक्टेयर में से वादी का 5/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 मोहन लाल का 1/9 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 02 राम निवास का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 03 लक्ष्मीदेवी का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 सें 10 के पिता/पति का 1/9 हिस्सा स्थित चला आ रहा है।

रामश्वर लाल की मृत्यु होने के कारण उक्त कृषि भूमि में से रामश्वर लाल के हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 04 से 10 के हिस्से होनी है।

कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1034/665 तादादी 1.1761 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 563 तादादी 0.4805 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 तादादी 3.3134 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 4.9700 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू का विभाजन कानूनसम्मत है।

उक्त कृक्त कृषि भूमि का विभाजन नहीं होने से पक्षकारों के मध्य हिस्सा कस्सी व सिमांकन को लेकर विवाद बना रहता है तथा भविष्य में विवाद बढने का अंदेशा है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्से की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग से ही खाता कायम करवा लेवें।

वादी अपने 5/9 हिस्से की भूमि विभाजन करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण को काफी बार कहा एवं कहलवाया कि वो साथ चलकर अपने-अपने हिस्से का सहमति से विभाजन करवा लेवें परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी की बात नहीं मानी व आखिरकार दिनांक 02.09.2020 को सहमति से विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया । इसलिए यही इस दावे का वाद करण है वादी उक्त कृषि भूमि में हिस्सेदार है, सह खातेदार, कब्जेदार होने के कारण उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है।

दावा कृषि भूमि के विभाजन का है इसलिए तहसीलदार चूरू को तकमीलन पक्षकार संख्या 11 बनाया गया है, परन्तु दावा में सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिए दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त कृषि भूमि का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 के यहां रहन होने से उसके तकमीलन पक्षकार बनाया गया है।

वादगत कृषि भूमि वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के करण वाद श्रीमानजी के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार का है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर दावा अन्दर मियाद पेश है।

(क) कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1034/665 तादादी 1.1761 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 563 तादादी 0.4805 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 तादादी 3.3134 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 4.9700 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज) में से वादी के 5/9 हिस्से का by meets and bounds विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नकशा तरमीम व तकसीम किया जाकर अलग से पासबुक जारी हो।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 01 से 10 से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:55 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर

2

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 02 की ओर से वकील नन्दराम राहड़ ने उपस्थित होकर वकातलत नामा पेश किया । इस दौरान वादी व प्रतिवादीगण की ओर से इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का आपस में राजीनामा हो गया है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा में आपस में तैय किया गया है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1034/665 तादादी 1.1761 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 तादादी 0.4805 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 तादादी 3.3134 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 4.9700 हैक्टैयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में निचे लिखे अनुसार हिस्सा तय किया गया है।

1. यह कि सांवरमल पुत्र सीताराम का हिस्सा 2.5179 हैक्टेयर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 564 में से सुनिश्चित किया गया है, पूर्वी साईड का हिस्सा सांवरमल का रहेगा, जो संलग्न नक्शा के अनेसार रहेगा।
2. यह कि रामनिवास पुत्र सीताराम का हिस्सा 1.1761 हैक्टेयर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1034/665 में सुनिश्चित किया गया है।
3. यह कि गणेश, शंकर पुत्रगण रामश्वर लाल का हिस्सा कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 563 तादादी 0.4805 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 564 तादादी 0.7955 हैक्टेयर हिस्सा कुल 1.2760 हैक्टेयर हिस्सा सुनिश्चित किया गया है। जो खसरा नम्बर 564 में से पश्चिमि हिस्सा गणेश व शंकर का होगा।
4. यह कि प्रतिवी मोहनलाल ने अपने हिससे में दुकान रख ली है। इस कारण उसने अपना हिस्सा पक्षकारान के हिस्से में छोड़ दिया है। इस कारण मोहनलाल का नाम डिलिट किया जावें।
5. प्रतिवादी संख्या 03 लक्ष्मी ने अपना हिस्सा अपने पुत्रों के हक में छोड़ दिया है, रिलिज कर दिया है, उसका नाम हट चुका है।
6. यह कि किरण, सूरज, चन्दा देवी पुत्र पुत्रियां रामश्वरलाल व पुष्पा ने अपना हिस्सा शंकर व गणेश के हक में छोड़ दिया है, रिलिज कर दिया, उनका नाम हट चुका है।
7. यहकि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में गणेश पुत्र श्री रामेश्वर लाल, मोहनलाल पुत्र श्री सीताराम, रामनिवास पुत्र सीताराम, शंकर पुत्र रामेश्वर लाल, सांवरमल पुत्र सीताराम का ही नाम दर्ज है। अन्य पक्षकार के नाम हट चूके है। इस कारण राजीनाम पांच पक्षकारों के मध्य पेश किया जा रहा है।

राजीनामा दोनों पक्षों को पढ कर सुनाया गया दोनों पक्षों ने राजीनामा में अंकित तथ्यों को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया अतः राजीनामा तस्दीक किया गया।

पत्रावली व पत्रावली में पेश दस्तावेजात व राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। है। नियमानुसार कोई भी खातेदार अपने खातेदारी हिस्से का **by meets and bounds** के आधार पर खाता विभाजन करवा सकता । राजीनामा में पक्षकारों राजीनामा के आधार पर विभाजन करवाने की सहमति दी है। इस प्रकार पत्रावली में पेश दस्तावेजात एवं राजीनामा के अवलोकन से राजीनामा के आधार पर दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:55 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर दावा वादी उचित एवं राजीनामा के अनुसार प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1034/665 तादादी 1.1761 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 तादादी 0.4805 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 564 तादादी 3.3134 हैक्टेयर कुल किता 3 तादादी 4.9700 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 मोहनलाल का नाम उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी में से हटाते हुए एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी के अनुसार रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदर चूरू को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कृषि भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर पेश करें जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है वह यथावत रहन रहेगा। तहसीलदार चूरू डिक्री अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एव
सहायक कलक्टर,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:55 IST
Reason: SelfAttested